

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 17-01-2026

विषय सूची

18वाँ जापान-भारत विदेश मंत्रियों का रणनीतिक संवाद

संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि प्रभावी

बीज अधिनियम 2026 और किसानों पर उसका प्रभाव

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विश्लेषण

संक्षिप्त समाचार

थिरुवल्लुवर दिवस

जलिकट

चाबहार बंदरगाह: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच

आंतरिक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन (IDP)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2026

रूट विल्ट डिज़ीज़

काज़ीरंगा में ऊँचा वन्यजीव गलियारा

सांख्यिकी में सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार

18वाँ जापान-भारत विदेश मंत्रियों का रणनीतिक संवाद

संदर्भ

- 18वें भारत-जापान रणनीतिक संवाद में, भारत एवं जापान ने अपने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की उन्नति को पुनः पुष्टि की, जिसमें आर्थिक सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ तथा रक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।

मुख्य बिंदु

- 2026 की शुरुआत में जापान-भारत निजी क्षेत्र संवाद (B2B) आर्थिक सुरक्षा पर शुरू करने की घोषणा।
 - यह पाँच प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान में सहायता करेगा: अर्धचालक (Semiconductors),

महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), स्वच्छ ऊर्जा, और औषधि उद्योग।

- जापान-भारत एआई सहयोग पहल (JAI) के अंतर्गत जापान-भारत एआई रणनीतिक संवाद की स्थापना।
- जापान 2030 तक संयुक्त अनुसंधान हेतु 500 उच्च कौशल वाले भारतीय एआई पेशेवरों को आमंत्रित करेगा।
- लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए खनिज संसाधनों पर संयुक्त कार्य समूह की शीघ्र बैठक।
- दोनों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम-मुक्त करने और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने पर बल दिया।



भारत के लिए जापान का महत्व

- आर्थिक साझेदार:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), अवसंरचना वित्तपोषण और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रमुख स्रोत।
- रणनीतिक सहयोगी:** भारत की स्वतंत्र, खुली और समावेशी इंडो-पैसिफिक की दृष्टि को साझा करता है।
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन:** जोखिम-मुक्त रणनीतियों और अत्यधिक केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं से विविधीकरण में महत्वपूर्ण भागीदार।
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार:** एआई, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण में सहयोग।

- **वैश्विक शासन:** नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार हेतु भारत की भूमिका का समर्थन।

चुनौतियाँ / चिंताएँ

- **कार्यान्वयन अंतराल:** कई संवाद और ढाँचे उपस्थित हैं, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर औद्योगिक और तकनीकी परिणामों में बदलना धीमा है।
- **सीमित व्यापार मात्रा:** सुदृढ़ रणनीतिक संबंधों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार संभावनाओं की तुलना में मामूली है और जापान के अन्य प्रमुख साझेदारों के साथ व्यापार से कम है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बाधाएँ:** उच्च स्तरीय रक्षा और अर्धचालक प्रौद्योगिकियाँ निर्यात नियंत्रण, लागत मुद्दों एवं प्रक्रियात्मक विलंब का सामना करती हैं।
- **UNICORN रडार तकनीक पर चर्चाएँ** प्रगति दर्शाती हैं, लेकिन ऐसे प्रमुख परियोजनाएँ प्रायः लंबी वार्ताओं में विलंबित हो जाती हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियाँ:** महत्वपूर्ण खनिजों और घटकों के लिए तृतीय देशों पर निर्भरता अल्पकाल में बनी रहती है।

आगे का मार्ग

- रणनीतिक अभिसरण को सह-उत्पादन, सह-नवाचार और सह-निवेश में बदलना इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है।

स्रोत: AIR

संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि प्रभावी

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित संधि, जिसे औपचारिक रूप से *बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन (BBNJ) संधि* कहा जाता है, प्रभावी हो गई है। यह उच्च समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण और सतत उपयोग हेतु प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक ढाँचा तैयार करती है।

उच्च समुद्री क्षेत्र क्या हैं?

- उच्च समुद्री क्षेत्र वे महासागरीय क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं, अर्थात् 200 समुद्री मील (विशेष आर्थिक क्षेत्र – EEZs) से परे।
- ये वैश्विक महासागर का लगभग दो-तिहाई और पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा कवर करते हैं।

MAJOR PROVISIONS OF THE HIGH SEAS TREATY (BBNJ)



- पहले इनका शासन मुख्यतः UNCLOS के सामान्य सिद्धांतों द्वारा होता था, जिसमें जैव विविधता-विशिष्ट विनियमन सीमित था।

बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन (BBNJ) संधि के बारे में

- **स्वीकृति एवं पृष्ठभूमि:** BBNJ समझौता 2023 में अंतर-सरकारी सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित हुआ।
- **UNCLOS के अंतर्गत कानूनी स्थिति:** यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के अंतर्गत तीसरा कार्यान्वयन समझौता है, इसके बाद:
 - 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता (गहरे समुद्री खनन)
 - 1995 संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों (ABNJ), जिन्हें सामान्यतः उच्च समुद्री क्षेत्र कहा जाता है, में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना।
- **संस्थागत एवं वित्तीय तंत्र:** पार्टियों का सम्मेलन (COP) निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में स्थापित।
 - डेटा, ज्ञान और सहयोग हेतु क्लियरिंग-हाउस तंत्र का निर्माण।
 - एक सचिवालय और कार्यान्वयन समर्थन हेतु समर्पित वित्तीय तंत्र की स्थापना।
- **सदस्यता स्थिति:** अब तक 83 देशों ने संधि का अनुमोदन किया है और भारत ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी तक अनुमोदन नहीं किया है।

BBNJ संधि का महत्व

- **वैश्विक साझा संसाधनों का शासन:** यह संधि ABNJ में जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रथम व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करती है, जो वैश्विक महासागर का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।
 - पहले उच्च समुद्री मत्स्य पालन पर कमजोर विनियमन था, जिससे टूना जैसी प्रवासी प्रजातियों


का अत्यधिक शिकार हुआ; BBNJ पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित प्रबंधन की अनुमति देता है।

- **“30×30” लक्ष्य की प्रगति:** 2030 तक महासागरों के 30% संरक्षण के वैश्विक लक्ष्य का समर्थन करता है, उच्च समुद्री क्षेत्रों में सागरीय संरक्षित क्षेत्र (MPAs) के माध्यम से।
- **अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIAs):** उन गतिविधियों के लिए पूर्व EIAs आवश्यक करता है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर हानि पहुँचा सकती हैं।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (MGRs) के माध्यम से समानता:** औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से न्यायसंगत एवं समान लाभ-साझाकरण की शुरुआत।
- **विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैज्ञानिक सहयोग और वित्तीय समर्थन को बढ़ावा देता है।
- **बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना:** संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था में विश्वास को सुदृढ़ करता है, विशेषकर खंडित वैश्विक शासन के समय में।

BBNJ संधि की चिंताएँ और सीमाएँ

- **गहरे समुद्री खनन को बाहर रखा गया:** संधि समुद्री तल खनन को विनियमित नहीं करती, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) के अधीन रहता है।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** विशाल उच्च समुद्री क्षेत्रों में निगरानी और प्रवर्तन तकनीकी एवं वित्तीय रूप से कठिन है। विकासशील देशों को EIAs करने या COP प्रक्रियाओं में प्रभावी भागीदारी करने में कठिनाई हो सकती है।
- **गैर-विश्वव्यापी अनुमोदन:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अनुमोदन नहीं किया, जिससे प्रमुख समुद्री शक्तियों द्वारा अनुपालन सीमित होता है।
- **मृदु अनुपालन तंत्र:** संधि अधिक सहयोग पर निर्भर करती है, न कि कठोर प्रवर्तन पर, जिससे अनुपालन को लेकर चिंताएँ बढ़ती हैं।

- **उदाहरण:** अवैध, अपंजीकृत और अनियमित (IUU) मत्स्य पालन नए मानदंडों के बावजूद जारी रह सकता है।



स्रोत: Firstpost

बीज अधिनियम 2026 और किसानों पर उसका प्रभाव

संदर्भ

- हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (MoA&FW) ने बीज अधिनियम 2026 की विशेषताओं और किसानों पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
- बीज अधिनियम 2026 को संसद के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

नए बीज अधिनियम (बीज अधिनियम 2026) लाने के प्रमुख कारण

- **बीज अधिनियम 1966 की पुरानी प्रकृति:** बीज अधिनियम 1966 उस समय लागू किया गया था जब बीज बाजार मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित था; संकर और आनुवंशिक रूप से उन्नत किस्में सीमित थीं; तथा डिजिटल प्रणाली व ट्रेसबिलिटी मौजूद नहीं थी।
- आज बीज क्षेत्र विशाल, निजी क्षेत्र-प्रधान और तकनीकी रूप से उन्नत है।
- पुराना कानून डिजिटल निगरानी, आधुनिक प्रमाणन मानकों और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के प्रावधानों से वंचित है।
- **बीज ट्रेसबिलिटी की कमी:** वर्तमान में किसान प्रायः नहीं जानते कि बीज किसने उत्पादित किया, क्या वह प्रमाणित था, और यदि फसल विफल हो जाए तो

जिम्मेदार कौन है; इससे शिकायत निवारण अत्यंत कठिन हो जाता है।

- **नकली और घटिया बीजों की बढ़ती समस्या:** भारत भर के किसान प्रायः मिलावटी या नकली बीजों, गलत लेबल वाले बीजों, खराब अंकुरण एवं कम उत्पादन के कारण हानि की रिपोर्ट करते हैं।
- पुराने अधिनियम में दंड न्यूनतम थे और अभियोजन धीमा व अप्रभावी था।
- **किसानों के अधिकारों का संरक्षण:** वाणिज्यिक बीज बिक्री को विनियमित करते समय किसानों के पारंपरिक अधिकारों—बीज बचाने, उपयोग करने, आदान-प्रदान करने और साझा करने—की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि किसानों को पुरानी प्रथाओं के लिए अपराधी न बनाया जाए।
- **निजी बीज बाजार का विकास:** निजी बीज कंपनियों के तीव्रता से विस्तार के साथ गुणवत्ता नियंत्रण असमान हो गया है और छोटे किसान बिना सुरक्षा उपायों के आक्रामक विपणन के संपर्क में हैं।
- पुराना कानून बीज कंपनियों और विक्रेताओं के पंजीकरण तथा निजी खिलाड़ियों की जवाबदेही को पर्याप्त रूप से विनियमित नहीं करता।
- **खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता सुनिश्चित करना:** घटिया बीज सीधे राष्ट्रीय फसल उत्पादन, खाद्य उपलब्धता और मूल्य स्थिरता को प्रभावित करते हैं।
- ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए जोखिम बढ़ा रहा है, बीज की गुणवत्ता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **आयातित बीजों का विनियमन:** भारत कई बीज किस्मों का आयात करता है, लेकिन कमजोर विनियमन अनुपयुक्त या घटिया बीजों के प्रवेश का कारण बन सकता है, जिससे पारिस्थितिक और कृषि संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं।

बीज अधिनियम 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- **राष्ट्रीय स्तर पर बीज ट्रेसबिलिटी:** प्रत्येक वाणिज्यिक बीज पैकेट पर एक QR कोड होगा जिसे किसान स्कैन कर सकेंगे।

- स्कैन करने पर प्रमुख जानकारी मिलेगी: बीज किसने उत्पादित किया, कहाँ से प्राप्त हुआ, और किस विक्रेता ने बेचा।
- इसका उद्देश्य गुमनाम बीज बिक्री समाप्त करना और नकली या घटिया बीजों का शीघ्र पता लगाना है, जिससे किसानों को त्वरित समाधान मिल सके।
- **बीज कंपनियों और विक्रेताओं का अनिवार्य पंजीकरण:** अधिनियम वाणिज्यिक बीज उत्पादकों, व्यापारियों और विक्रेताओं का अनिवार्य पंजीकरण प्रस्तावित करता है।
- अपंजीकृत विक्रेताओं को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी।
- यह सुनिश्चित करेगा कि केवल अधिकृत खिलाड़ी ही बाजार में कार्य करें, जिससे संदिग्ध विक्रेताओं का प्रवेश कम होगा।
- **घटिया और नकली बीजों पर कड़े दंड:** नया अधिनियम जानबूझकर उल्लंघन करने पर ₹30 लाख तक जुर्माना और संभावित कारावास का प्रस्ताव करता है।
 - इसका उद्देश्य किसानों को बेईमान विक्रेताओं द्वारा नियमित शोषण से बचाना है।
- **पारंपरिक बीज प्रथाओं का संरक्षण:** सरकारी अधिकारियों ने बल दिया है कि किसानों की पारंपरिक प्रथाएँ जैसे बीज बचाना, साझा करना और समुदाय के अंदर आदान-प्रदान करना प्रतिबंधित नहीं होंगी।
 - नया अधिनियम वाणिज्यिक बीज गुणवत्ता पर केंद्रित है, न कि पारंपरिक, गैर-ब्रांडेड बीज प्रणालियों पर।
- **आयातित बीजों का वैज्ञानिक मूल्यांकन:** आयातित बीज भारतीय बाजार में प्रवेश से पहले कठोर वैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजरेंगे, ताकि वे पारिस्थितिक, कृषि संबंधी और गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करें।
 - यह स्थानीय किसानों को अनुपयुक्त विदेशी बीजों से बचाता है।
- **संस्थागत तंत्र और संघीय सहयोग:** अधिनियम केंद्रीय और राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण समितियाँ बना

सकता है ताकि बीज परीक्षण, पंजीकरण एवं प्रवर्तन में बेहतर समन्वय हो सके।

- कृषि एक राज्य विषय (भारतीय संविधान की अनुसूची VII) बनी रहती है, जिसका अर्थ है कि राज्यों को केंद्र के साथ अधिनियम लागू करने और प्रवर्तन में प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

किसानों पर अपेक्षित प्रभाव

- **आत्मविश्वास और फसल उत्पादकता में वृद्धि:** सत्यापित उत्पत्ति वाले उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज अंकुरण दरों में सुधार करते हैं, फसल विफलताओं को कम करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं।
- किसानों को बेहतर उत्पादन परिणाम और कम जोखिम का लाभ मिलेगा।
- **नकली और घटिया बीजों में कमी:** ट्रेसबिलिटी को अनिवार्य बनाने और पंजीकरण व दंड लागू करने से बाजार में मिलावटी या नकली बीजों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
 - यह विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके सीमित संसाधन उन्हें घटिया इनपुट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं।
- **पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला:** पारदर्शिता किसानों को सूचित खरीद निर्णय लेने और आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग कर शिकायत निवारण करने में सक्षम बनाती है।
 - समय के साथ विश्वसनीय बीज ब्रांड और विश्वासपात्र विक्रेता प्रमुखता प्राप्त करेंगे, जिससे बाजार अनुशासन में सुधार होगा।
- **सार्वजनिक और घरेलू बीज नवाचार को प्रोत्साहन:** अधिनियम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों (जैसे ICAR, कृषि विश्वविद्यालयों) की भूमिका को सुदृढ़ करता है, जिससे वे बीज विकास में अधिक परिभाषित भूमिका निभा सकें।
 - सुदृढ़ घरेलू प्रणालियाँ आयातित बीज किस्मों पर निर्भरता कम कर सकती हैं और स्थानीय रूप से अनुकूलित बीजों का समर्थन कर सकती हैं।

संबंधित चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन क्षमता:** प्रभावी प्रवर्तन के लिए सुसज्जित बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ, प्रशिक्षित कर्मी और डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता होगी, विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में।
 - राज्यों की संस्थागत क्षमता में व्यापक भिन्नता है, जो समान रूप से लागू करने को प्रभावित कर सकती है।
- **कॉर्पोरेट प्रभाव को लेकर चिंताएँ:** कठोर पंजीकरण और नियामक ढाँचे बड़े बीज निगमों के बीच बाजार शक्ति को केंद्रित कर सकते हैं, जिससे छोटे बीज उत्पादक हाशिए पर जा सकते हैं।
- **किसानों की जागरूकता की आवश्यकता:** डिजिटल ट्रेसबिलिटी और शिकायत प्रणाली के लिए किसानों को इनके उपयोग के बारे में जागरूक होना आवश्यक है, जिसके लिए सुदृढ़ जनजागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी।

स्रोत: PIB

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विश्लेषण

समाचारों में

- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के साथ भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा करने की तत्परता पर प्रकाश डाला, और प्रौद्योगिकी को एक वैश्विक सार्वजनिक संपदा के रूप में देखा जो लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) उन साझा, सुरक्षित और परस्पर-संगत डिजिटल प्रणालियों का समूह है जो खुले मानकों पर आधारित हैं तथा नीतियों, विनियमों एवं संस्थाओं जैसे सक्षम नियमों द्वारा शासित होते हैं।
- DPI सरकारों, नागरिकों और निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से विश्वासपात्र, समावेशी एवं कम

लागत वाले तरीके से परस्पर संवाद करने में सक्षम बनाती है।

- भौतिक अवसंरचना की तरह, DPI अविभाज्य, गैर-बहिष्करणीय होती है और सार्वजनिक मूल्य सृजन के अवसर प्रदान करती है।
- भारत की DPI तीन-स्तरीय संरचना पर कार्य करती है:
 - **पहचान परत** (आधार – अद्वितीय पहचान हेतु)
 - **भुगतान परत** (UPI – वास्तविक समय, कम लागत वाले लेन-देन हेतु)
 - **डेटा परत** (अकाउंट एग्रीगेटर – सहमति-आधारित डेटा साझा करने हेतु)

DPI का महत्व

- **कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण:** DPI ने GeM (₹5 लाख करोड़ GMV से अधिक) और UMANG (2,300 सेवाएँ, 8.71 करोड़ उपयोगकर्ता) जैसे सहज प्लेटफॉर्म सक्षम किए हैं, जिससे खरीद, कल्याण वितरण एवं नागरिक-सरकार संवाद सुव्यवस्थित हुआ है।
- **वित्तीय समावेशन क्रांति:** UPI भारत के 85% डिजिटल भुगतान और वैश्विक वास्तविक समय लेन-देन का ~50% संचालित करता है, जिससे लाखों बिना बैंक वाले लोगों को कम लागत पर त्वरित पहुँच मिलती है।
- **भाषाई बाधाओं को तोड़ना:** भाषिनी 35+ भारतीय भाषाओं और 22+ भाषाओं में 1,600+ एआई मॉडल का समर्थन करती है, जिससे विविध भाषाई संदर्भों में डिजिटल सेवाएँ सुलभ होती हैं।
- **उन्नत ई-गवर्नेंस:** तीन-स्तरीय संरचना (आधार, UPI, अकाउंट एग्रीगेटर) परस्पर-संगत, सहमति-आधारित प्रणालियाँ सुनिश्चित करती है जो प्रशासनिक लागत कम करती हैं और पारदर्शिता बढ़ाती हैं।
- **वैश्विक सॉफ्ट पावर और कूटनीति:** इंडिया स्टैक ग्लोबल और GDPIR भारत को डिजिटल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं, आर्मेनिया और सिएरा लियोन जैसे देशों के साथ MoU द्वारा DPI समाधान ग्लोबल साउथ तक पहुँचाए जा रहे हैं।

चुनौतियाँ

- **साइबर खतरों:** RBI ने विक्रेता-निर्भरता, साइबर खतरों और कमजोर डेटा संरक्षण ढाँचे के जोखिमों को चिन्हित किया है।
- **डिजिटल विभाजन:** प्रगति के बावजूद ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में कमी का सामना करना पड़ता है।
- **परस्पर-संगतता और मानक:** DPI मानकों का वैश्विक संरेखण आवश्यक है ताकि सीमा-पार अपनाने को सुनिश्चित किया जा सके।
- **विश्वास और जवाबदेही:** निगरानी, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र की कमी को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत की DPI यात्रा दर्शाती है कि डिजिटल पहचान, भुगतान और शासन प्लेटफॉर्म समाजों को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं।
- इसने लाखों लोगों को सशक्त बनाया है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और वैश्विक मानक स्थापित किए हैं।
- हालाँकि, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता और समावेशिता की चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है ताकि विश्वास बना रहे तथा लाभ समान रूप से सुनिश्चित हों।
- निरंतर अवसंरचना निवेश, नीतिगत सुरक्षा उपायों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ, भारत डिजिटल शासन में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर सकता है।

स्रोत: Air

संक्षिप्त समाचार

थिरुवल्लुवर दिवस

समाचारों में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी और उनकी कालजयी रचनाओं एवं आदर्शों के पीढ़ियों तक बने रहने वाले प्रभाव को स्वीकार किया।

थिरुवल्लुवर

- वे लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मायलापुर (वर्तमान चेन्नई) में सक्रिय थे। वे जन्मजात सिद्ध और कवि थे, जिन्हें केवल वल्लुवर कहा जाता था, या अधिक सामान्य रूप से थिरुवल्लुवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'वल्लुवा जाति का भक्त'।
- वल्लुवा परंपरागत रूप से पुरैया समुदाय से संबंधित थे, जिन्हें अब हरिजन कहा जाता है, और उनका व्यवसाय नगाड़े बजाकर शाही आदेशों की घोषणा करना था।
- **जन्मस्थान और काल:** कुछ परंपराएँ कहती हैं कि उनका जन्म मदुरै (पांड्यों की राजधानी) में हुआ था। उनका काल विभिन्न रूप से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक माना गया है।
- विद्वान मरैमलाई अडिगल ने उनका जन्म 31 ईसा पूर्व में माना, जबकि तमिल विद्वान कामिल ज्वेलेबिल ने सुझाव दिया कि थिरुवल्लुवर और तिरुक्कुरल संभवतः 500–600 ईस्वी के बीच के काल से संबंधित हैं।
- जनवरी 1935 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक रूप से 31 ईसा पूर्व को थिरुवल्लुवर का जन्म वर्ष मान्यता दी।

उपदेश और कृतियाँ

- थिरुवल्लुवर ने प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए भी पवित्रता और दिव्यता का जीवन जी सकता है।
- उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग आवश्यक नहीं है।
- उन्हें संगम काल के महानतम कवि-दार्शनिकों में से एक माना जाता है।
- उनकी रचना इतनी सम्मानित है कि इसे कई नामों से पुकारा गया है, जैसे तिरुक्कुरल, उत्तरवेदम, तमिल वेद, तेयवनुल (दिव्य पुस्तक), और पोतुमारै (सामान्य वेद)।
- उनकी महान कृति तिरुक्कुरल 1,330 दोहों का संग्रह है, जिसमें नैतिकता, शासन, अर्थशास्त्र और प्रेम पर विचार किया गया है।

- यह ग्रंथ तमिल साहित्य की महानतम कृतियों में से एक माना जाता है और अपने सार्वभौमिक मूल्यों एवं नैतिक स्पष्टता के लिए प्रशंसित है।

स्रोत: PIB

जल्लिकट्ट

संदर्भ

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अलंगनल्लूर में जल्लिकट्ट में भाग लिया।

जल्लिकट्ट क्या है?

- जल्लिकट्ट, जिसे *एरुथाझुवुथल* भी कहा जाता है, तमिलनाडु में पारंपरिक रूप से पोंगल फसल उत्सव के दौरान खेला जाने वाला बैल-पकड़ने का खेल है।
- इस बैल-युद्ध का इतिहास 400-100 ईसा पूर्व तक जाता है, जब इसे आयर समुदाय द्वारा खेला जाता था।
- नाम दो शब्दों से बना है: जल्लि (चाँदी और सोने के सिक्के) और कट्टू (बाँधा हुआ)। इस उत्सव में बैल को भीड़ में छोड़ दिया जाता है और जो भी उसे वश में करता है, उसे उसके सींग से बंधे सिक्के मिलते हैं।
- प्रतिभागी बैल की कूबड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे रोका जा सके। कभी-कभी वे बैल के साथ दौड़ते भी हैं।
- पुलिकुलम या कंगायम नस्ल के बैल इस खेल में प्रयुक्त होते हैं। यह उत्सव राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन का हिस्सा रहा है।
- इसके विभिन्न रूप हैं: वादी मंजुविरट्टू, वेली विरट्टू, और वटम मंजुविरट्टू।

क्या आप जानते हैं?

- जल्लिकट्ट और अन्य पशु-सम्बंधित उत्सव लंबे समय से विवादित रहे हैं। पशु अधिकार समूहों और न्यायालयों ने पशुओं पर क्रूरता तथा इस खेल की रक्तंजित एवं खतरनाक प्रकृति पर चिंता व्यक्त की है, जो कभी-कभी पशु और मानव दोनों की मृत्यु या चोट का कारण बनती है।

- हालाँकि, 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधानसभाओं द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा, जिससे जल्लिकट्ट, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे खेलों की अनुमति दी गई।

स्रोत: IE

चाबहार बंदरगाह: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच

समाचारों में

- भारत ने पुनः पुष्टि की है कि वह अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संलग्न रहकर रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर संचालन जारी रखेगा, उन रिपोर्टों का खंडन करते हुए जिनमें कहा गया था कि नए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत बाहर निकलने की योजना बना रहा है।

चाबहार बंदरगाह के बारे में

- अर्थ:** चाबहार फारसी शब्दों चहार (चार) और बहार (वसंत) से बना है।
- चाबहार शहर ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जो सीधे महासागर तक पहुँच रखता है।
- स्थान:** यह ईरान के दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान-बलूचिस्तान में ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है और ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जो सीधे महासागर तक पहुँच रखता है।
- यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से केवल लगभग 170 किलोमीटर पश्चिम में है।
- इसमें दो अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं: शहीद कलांतरी और शहीद बेहेश्ती।

भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व

- मध्य एशिया और उससे आगे का द्वार:** यह बंदरगाह ऊर्जा-समृद्ध फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट और मध्य एशिया तक पहुँच प्रदान करता है तथा भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है।
- यह आंशिक रूप से INSTC द्वारा हल किया गया है।

- यह बंदरगाह स्वेज नहर पर निर्भरता कम करेगा और परिवहन समय घटाएगा।
- **अफगानिस्तान के साथ व्यापार:** INSTC ने भारत को ईरान के माध्यम से बाहरी दुनिया से व्यापार करने की अनुमति दी, लेकिन भारत अफगानिस्तान (INSTC का सदस्य नहीं) के साथ ऐसा नहीं कर सका, जबकि वह निकटतम पड़ोसी है।
- मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के उपयोग हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह भारत की अफगानिस्तान के विकास में भूमिका को सुगम बनाएगा।
- **रणनीतिक महत्व:** चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के काफी निकट है, जिसे चीन विकसित कर रहा है। यह CPEC का सामना करने और समुद्री शक्ति को सुदृढ़ करने में सहायता करता है।

स्रोत: TH

आंतरिक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन (IDP)

समाचारों में

- भारतीय शोधकर्ताओं ने *डिसोबाइंड* नामक एक मुक्त-स्रोत एआई-आधारित उपकरण विकसित किया है, जो प्रोटीन भाषा मॉडलों का उपयोग करके *आंतरिक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन (IDPs)* की अंतःक्रियाओं की भविष्यवाणी करता है।

आंतरिक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन (IDPs) क्या हैं?

- IDPs वे प्रोटीन क्षेत्र हैं जिनमें शारीरिक परिस्थितियों में एक स्थिर त्रि-आयामी संरचना नहीं होती।
- निश्चित आकार के बजाय, वे लचीले और रूप बदलने वाले रहते हैं, जिससे वे कई साझेदारों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं।
- पारंपरिक प्रोटीन भविष्यवाणी उपकरण स्थिर संरचनाओं पर निर्भर करते हैं, जिससे IDPs का विश्लेषण कठिन हो जाता है।

- IDPs ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और डीएनए-संबद्ध प्रोटीन के साथ अंतःक्रिया करके नियंत्रित करते हैं कि कौन से जीन चालू या बंद हों।
- IDPs कैंसर की प्रगति में शामिल होते हैं, जहाँ असामान्य अंतःक्रियाएँ अनियंत्रित कोशिका वृद्धि को प्रेरित करती हैं।

स्रोत: PIB

केंद्रीय सतर्कता आयोग

समाचारों में

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा *प्रवीण वशिष्ठ* को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

- यह भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, जिसे सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।
- इसे 1964 में *संतानम समिति* की भ्रष्टाचार निवारण संबंधी सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था।
- *केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003* केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर की जाती है।

शक्ति और कार्य

- CVC अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आयोग को भ्रष्टाचार से लड़ने और सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है।
- आयोग केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की सतर्कता प्रशासन पर पर्यवेक्षण करता है।
- यह सर्वोच्च सतर्कता संस्था के रूप में कार्य करता है और भ्रष्टाचार-रोधी जाँचों का मार्गदर्शन करता है, जिनमें

लोकपाल द्वारा संदर्भित मामले एवं PIDPI ढाँचे के अंतर्गत व्हिसलब्लोअर शिकायतें शामिल हैं।

- यह CBI के कार्यों की निगरानी करता है, विशेषकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित मामलों में, और ऐसी जाँचों के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है तथा अभियोजन की अनुमति में देरी सहित उनकी प्रगति की समीक्षा करता है।
- यह वरिष्ठ नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे प्रवर्तन निदेशालय और CBI (SP स्तर एवं उससे ऊपर, CBI निदेशक को छोड़कर) में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति हेतु समितियों की अध्यक्षता करना।

स्रोत: PIB

भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2026

समाचारों में

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2026 के अंतर्गत बदलावों की अधिसूचना जारी की है।

परिचय

- यह RBI-नियंत्रित संस्थाओं जैसे बैंक, NBFCs, भुगतान प्रणाली संचालकों आदि के ग्राहकों के लिए एकीकृत शिकायत निवारण ढाँचा है।
- इसका उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का सरल, त्वरित और निःशुल्क समाधान प्रदान करना है।
- विवाद में शामिल राशि पर कोई सीमा नहीं है जिसे शिकायतकर्ता RBI लोकपाल के समक्ष ला सकता है।
- RBI अपने एक या अधिक अधिकारियों को RBI लोकपाल और RBI उप-लोकपाल नियुक्त कर सकता है। सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।
- विनियमित संस्था या शिकायतकर्ता 30 दिनों के अंदर अपील दाखिल कर सकते हैं। अपील RBI द्वारा नामित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष जाती है।
- प्रत्येक विनियमित संस्था को अपने मुख्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है।

स्रोत: ET

रूट विल्ट डिज़ीज़

समाचारों में

- प्रायद्वीपीय भारत में नारियल की खेती फाइटोप्लाज्मा से उत्पन्न रूट विल्ट डिज़ीज़ (RWD) के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही है।

रूट विल्ट डिज़ीज़ (RWD) के बारे में

- नारियल की रूट विल्ट डिज़ीज़ फाइटोप्लाज्मा (एक कोशिका-भित्ति रहित जीवाणु रोगजनक) के कारण होती है और इसे गैर-घातक लेकिन दुर्बल करने वाली बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसका प्रथम उल्लेख 150 वर्ष से अधिक पहले एरट्रुपेट्टा, केरल में हुआ था और लंबे शोध प्रयासों के बावजूद अब तक कोई निश्चित उपचार विकसित नहीं किया जा सका है।
- इस बीमारी की पहचान धीरे-धीरे पत्तियों के पीलेपन और मुरझाने से होती है, जिसके बाद नारियल उत्पादन में तीव्र गिरावट आती है तथा अंततः सभी नारियल झड़ जाते हैं।
- रूट विल्ट डिज़ीज़ कीट वाहकों (मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों) के माध्यम से फैलती है और इसका प्रसार वायु की गति तथा बड़े, निरंतर नारियल बागानों से और अधिक सुगम हो जाता है।

नारियल (कोकोस न्यूसीफ़ेरा) के बारे में

- यह भारत की एक प्रमुख बहुवर्षीय बागवानी फसल है, जो मुख्यतः आर्द्र उष्णकटिबंधीय और तटीय क्षेत्रों में उगाई जाती है।
- यह अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मृदा, उच्च आर्द्रता और 27–32°C तापमान में पनपती है। इसे पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है।
- भारत विश्व के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक मिलकर भारत के नारियल उत्पादन में लगभग 82–83% योगदान करते हैं।

स्रोत: TH

काज़ीरंगा में ऊँचा वन्यजीव गलियारा

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के काज़ीरंगा में 34.5 किमी लंबे ऊँचे वन्यजीव गलियारे का उद्घाटन करने वाले हैं।
 - इसका उद्देश्य सुरक्षित पशु आवागमन सुनिश्चित करना है, विशेषकर वार्षिक बाढ़ के दौरान।
 - साथ ही, यह गुवाहाटी, काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नुमालिगढ़ के बीच संपर्क में सुधार करेगा।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़-मैदान घासभूमि का सबसे बड़ा अविभाजित प्रतिनिधि क्षेत्र है, जहाँ घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक उत्तराधिकार के विभिन्न चरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
- यह उद्यान विश्व के 70% से अधिक एक-सींग वाले गैंडों का आवास है।
- यह भारत के सबसे प्राचीन वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में से एक है, जिसे प्रथम बार 1905 में अधिसूचित किया गया और 1908 में आरक्षित वन घोषित किया गया।
- इसे 1950 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1974 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया।
- इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

स्रोत: IE

सांख्यिकी में सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार

समाचारों में

- भारत सरकार ने सांख्यिकी में सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार – 2026 हेतु नामांकन/आवेदन आमंत्रित किए हैं।

सांख्यिकी में सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में

- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था।
- यह पुरस्कार पी.सी. महालनोबिस के समकालीन और प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् प्रो. पी.वी. सुखात्मे के नाम पर रखा गया है, जो कृषि एवं आधिकारिक सांख्यिकी में योगदान के लिए जाने जाते हैं।
- यह केवल 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। इसे प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार का उद्देश्य सांख्यिकी के क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट आजीवन योगदान को मान्यता देना है, विशेषकर भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु।
- यह पुरस्कार 29 जून 2026 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।

स्रोत: PIB

